न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः 06/2025 दर्ज दिनांकः 08.01.2025

जी.सी.एम.एस. न0ः 2025/12

गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः— 31.01.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 32 पुराना खाता सं. 30 के अन्तर्गत ख.नं. 171 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.नं. 180 रकबा 3.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह के बजाय गजानन्द सिंह पुत्र रामेश्वर दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 32 पुराना खाता सं. 30 के अन्तर्गत ख.नं. 171 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.नं. 180 रकबा 3.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गजानन्द सिंह पुत्र रामेश्वर के बजाय गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ./2025/198 दिनांक 22.01.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 32 पुराना खाता सं. 30 के अन्तर्गत ख.नं. 171 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.नं. 180 रकबा 3.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह के बजाय गजानन्द सिंह पुत्र रामेश्वर दर्ज रिकार्ड है, जो

CamScanner

.र्ड है। प्रार्थी का यह गलत नाम सहवन से दर्ज किया गया। प्रार्थी का सही नाम गजराज .वर सिंह है।

. ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता .ा 32 पुराना खाता सं. 30 के अन्तर्गत ख.नं. 171 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.नं. 180 रकबा 3.37 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गजानन्द सिंह पुत्र .वर के बजाय गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना .र्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी ने अपना नाम गजानन्द सिंह पुत्र रामेश्वर के बजाय गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस एवं तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी का सही नाम गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 32 पुराना खाता सं. 30 के अन्तर्गत ख.नं. 171 रकबा 0.10 हैक्टर, ख.नं. 180 रकबा 3.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गजानन्द सिंह पुत्र रामेश्वर के बजाय गजराज सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

CamScanner